

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

सं०-05स्था-95/2010 (खंड)

पटना,दिनांक

अधिसूचना

जिला पदाधिकारी सिवान से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री अंसार अहमद, जिला आपूर्ति पदाधिकारी सिवान को, जिला परिवहन पदाधिकारी, सिवान का पदभार दिनांक 22.04.2013 के अपराह्न से ग्रहण करने के फलस्वरूप मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा 213 (1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी सिवान के कार्य सम्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/—

प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

शापांक

1636

दिनांक-26/4/2013

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग पटना, राजकीय राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, सारण, छपरा/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना / जिला पदाधिकारी, सिवान/श्री अंसार अहमद, जिला आपूर्ति पदाधिकारी-सह-जिला परिवहन पदाधिकारी, सिवान/संयुक्त अयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा/मोटरयान निरीक्षक, सिवान/माननीय मंत्री परिवहन के आप्त सचिव/प्रधान सचिव-सह-राज्य परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी/आई.टी.मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग एवं स्थापना शाखा, परिवहन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

असि
प्रधान सचिव, 27/4/13

परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।